न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 99/2022 (GCMS No. 2022/104) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. अतरसिंह पुत्र गिरधारी आयु 62 साल जाति गुर्जर निवासी ससेडी तहसील व जिला करौली राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील व जिला करौली।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार करौली दिनांक 26.11.2021 मि.नं. 437/21 उनवान सरकार बनाम अतरसिंह एवं आदेश जिला कलक्टर करौली दिनांक 30.05.2022 मुकदमा नं. 20/22 उनवानी अतरसिंह बनाम सरकार।

उपस्थितिः—

1. अपीलान्ट की ओर से श्री रामनिवास पाराशर, वकील
2. रेस्पोडैन्ट की ओर से राजकीय प्रतिनिधि नायब तहसीलदार करौली,

नि र्ण य

दिनांक : 21.06.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 30.05.2022 एवं नायब तहसीलदार करौली के आदेश दिनांक 26.11.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट के विरूद्ध ग्राम ससेडी तहसील करौली की आराजी खसरा नम्बर 772 रकवा 0.05 बीघा किस्म गैरमुमकिन पहाड पर संवत् 2078 में कमरा बनाकर व पत्थर बजरी डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा की जाने पर नायब तहसीलदार करौली ने अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित कर 05 रूपये अर्थदण्ड एवं बेदखल करने के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसके

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर करौली को अपील पेश की, जिसे दिनांक 30.05.2022 को खारिज कर दिया गया। जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलव किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय प्रतिनिधि नायब तहसीलदार करौली उपस्थिति।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्धान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जबाब व साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। कब्जे की जॉच नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी का कोई बयान नहीं लिया गया। बिना साक्ष्य रिकार्ड किये है। नवीन कब्जा मकान तथा निर्माण किया जाना माना है जबकि अपीलांट का विवादित भूमि पर कब्जा उसके पूर्वजों के समय से सैकडों वर्ष पुराना तीन पीढियों से चला आ रहा है। पूर्व में उनकी झौंपडी व पाटोर पोश मकानियत रही हैं। विगत 20 वर्ष पूर्व अपीलांट ने पाटौर हटाकर पक्का चीरी का कमरा लाखों रूपये की लागत लगाकर तैयार कराया है। जिसका अंकन खसरा परिवर्तनशील सन् 2009–10, 2010–11 में स्वयं पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रिकार्ड में किया गया है। जमीन सिवायचक है। किसी अतिक्रमी को हटाने की अवधि 12 वर्ष है जबकि अपीलार्थी का कब्जा 40 वर्ष से भी अधिक समय से है जिसमें पक्का मकान बना हुआ है। सिविल न्यायालय द्वारा स्थगन दिया हुआ है। दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर उसका पुराना कब्जा है। कब्जे की जॉच किये बिना निर्णय पारित कर त्रृटि की गई है। अपीलांट के निर्माणाधीन पुराने कमरे को जे.सी.बी. से जोडने के कारण पजेसरी टाईटल व एडवर्स पजेसन के आधार पर दावा सिविल न्यायाधीश करौली के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया है जो लम्बित है। जिसमें पुनः निर्माण करने व कब्जे से बेदखल न किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलांट गरीब व्यक्ति है। मकान छोटा है। आगामी तारीख पेशी 17.07.2024 नियत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पुराने कब्जे के आधार पर राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 की धारा 20 के तहत नियमन की सिफारिश करने हिदायत के साथ के साथ प्रतिप्रेषित की जानी चाहिए थी। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय दिनांक 26.11.2021 व 30.05.2022 निरस्त फरमाये जावें।

4. राजकीय प्रतिनिधि द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय बहाल रखा जावे।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय नायब तहसीलदार करौली द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 772 रकवा 0.05 बीघा गैर मुमकिन पहाड वांके ग्राम ससेडी पर कमरा बनाकर व पत्थर, बजरी डालकर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिये जाने पर विवादित आराजी से बेदखली, शास्ती से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली ने अपने आदेश दिनांक 30.05.2022 में अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुये तहसीलदार करौली के बेदखली आदेश को यथावत रखा गया। सिविल न्यायालय में लम्बित वाद तथा स्थगन बावत् कोई प्रमाणित नकल/दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ना ही अपीलांट द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत की गई। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार करौली को सम्पूर्ण खसरा नम्बर 772 वांके ग्राम ससेडी पर अतिक्रमण की जॉच करने यदि अतिक्रमण अन्य का भी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही के आदेश दिये गये। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार ख.नं. 772 किस्म गैर मुमकिन पहाड जिसका किस्म परिवर्तन किये बिना नियमन किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अतिक्रमण से अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। विवादित भूमि पर अपीलांट द्वारा कब्जा माना है। वकील अपीलांटस की दलीलों से हम सहमत नहीं है। ऐसे में अपीलांट की अपील अतिक्रमी होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसंगत होने से हमारी राय में उनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार करौली का आदेश दिनांक 26.11.2021 एवं जिला कलक्टर करौली का आदेश दिनांक 30.05.2022 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/6/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर